

उत्तर प्रदेश सरकार  
 विभागीय राज अनुभाग-1  
 संख्या: 4517 / 53-1-94-116/92  
 लघुसंख्या: दिनांक 10 नवम्बर, 1994

4/6073/94

अभिधावना

प्रकीर्ण

लक्ष्मणानुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्षा का प्रयोग करते राज्यपाल उत्तर प्रदेश महायुक्त विभागाधीन अधिकारी एवं तमाम शिक्षा सेवा नियमावली, 1989 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।  
 उत्तर प्रदेश महायुक्त विभागाधीन अधिकारी एवं तमाम शिक्षा 1989 संशोधन सेवा नियमावली, 1994

1. 1989 सेवा नियमावली, उत्तर प्रदेश महायुक्त विभागाधीन अधिकारी एवं तमाम शिक्षा 1989 संशोधन सेवा नियमावली, 1994 को लागू की जाएगी।

2. उत्तर प्रदेश महायुक्त विभागाधीन अधिकारी एवं तमाम शिक्षा सेवा नियमावली, 1989 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश महायुक्त विभागाधीन अधिकारी एवं तमाम शिक्षा 1989 संशोधन सेवा नियमावली, 1994 के अन्तर्गत पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करने के लिए आवश्यक संशोधन कार्य निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :-

संशोधन-1

संशोधन-2

1. 1989 सेवा नियमावली के अन्तर्गत कार्य करने के लिए आवश्यक संशोधन कार्य निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा :-  
 14-11-1 सेवा की संरचना में संशोधन की जाएगी जिससे राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अध्यापित किया जाये।  
 12-11-1 जब तक कि अध्यापक 11-1 के अन्तर्गत परिवर्तित करने के आदेश न दिये जायें, -  
 11-1 के अन्तर्गत कार्य करने के आदेश न दिये जायें सेवा की संरचना संशोधन की जाएगी :-

उत्तर प्रदेश महायुक्त विभाग  
 14-11-3 सेवा की संरचना में संशोधन की जाएगी जिससे राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अध्यापित की जायें।  
 12-11-1 जब तक कि अध्यापक 11-1 के अन्तर्गत परिवर्तित करने के आदेश न दिये जायें, -  
 11-1 के अन्तर्गत कार्य करने के आदेश न दिये जायें सेवा की संरचना संशोधन की जाएगी :-

4  
 14  
 11

क्रम सं०	पद का नाम	स्थायी अस्थायी
	सहायक विजयत	943
	अधिकारी	10
	पंजाबत एवं	9
	समाज शिवा	

परन्तु--  
 प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी  
 जिले स्थित पद को विना  
 भी हुए छोड़ सकते हैं या  
 राज्यपाल उक्त आस्थानित रच  
 सकते हैं जिलों को उचित  
 प्रतिकर का उद्धार न होने,  
 उक्त राज्यपाल उक्त  
 अस्थायी पदों का सुझाव पर  
 करते हैं जिनमें यह उचित  
 करते हैं।

परन्तु--  
 प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी जिले स्थित  
 पद को विना भरे हुए छोड़ सकता है या  
 राज्यपाल उक्त आस्थानित रच सकते हैं,  
 जिलों को उचित प्रतिकर का उद्धार  
 न होगा,

उक्त राज्यपाल उक्त अस्थायी पदों  
 का अस्थायी पदों का सुझाव पर  
 जिलों यह उचित करते हैं।

उक्त नियुक्ति प्राधिकारी के, उक्त स्थानों में उक्त पदों के स्थान पर  
 उक्त पदों का उचित प्रतिकर का उद्धार न होने, उक्त राज्यपाल उक्त  
 अस्थायी पदों का सुझाव पर करते हैं जिनमें यह उचित करते हैं।

उक्त स्थानों में उक्त पदों का उचित प्रतिकर का उद्धार न होने, उक्त राज्यपाल उक्त  
 अस्थायी पदों का सुझाव पर करते हैं जिनमें यह उचित करते हैं।

उक्त स्थानों में उक्त पदों का उचित प्रतिकर का उद्धार न होने, उक्त राज्यपाल उक्त  
 अस्थायी पदों का सुझाव पर करते हैं जिनमें यह उचित करते हैं।

उपरोक्त नियमावली का विषय 15 निम्नलिखित दिनांक पर लागू है।

उपरोक्त नियमावली के अन्तर्गत स्तम्भ-1 में दिये गये विषय 16 के अन्तर्गत पर, स्तम्भ-2 में दिये गये विषय एवं दिनांक लागू हैं।

स्तम्भ-1

वर्तमान नियमः

16- पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र के आधार पर अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, 1970 के अर्थशास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत।

स्तम्भ-2

विशेष द्वारा प्रतिस्थापित नियमः

16-11 के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र के आधार पर अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, 1970 के अर्थशास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत।

12- नियुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, 1970 के अर्थशास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत।

13- अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, 1970 के अर्थशास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत।

14- अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थशास्त्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, 1970 के अर्थशास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत।

जिसे उनकी सदस्यता को जारी है,  
को सूची तयार करने और उसे नियुक्त  
प्राधिकारी को अग्रसारित करने।

उपरोक्त नियमावली का विधम 17 निम्नलिखित दिया जाएगा।

6.

17 वा  
का

आज से,

डा० यशपाल सिंह,  
सचिव।